

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

विष्णु सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

संख्या 123 / 2021 अन्तर्गत धारा 88 R/A, 136 L Act.

नांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
------	-----------------------------------	---

31/24

वादी गौरीवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के दारु वादपत्र में चक 34 एच के भू.न. 26 के किला न. 1 ता 5 में खाला की भूमि को गिरस्त करवाकर वादीगण के खाता में भूमि दर्ज किए जाने बाबत विवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांक 224 दिनांक 01/02/2022 के मुताबिक उक्त वादगत भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण अधीक्षण अभिग्रता जल संसाधन वृत्त गंगानगर में विचारधीन है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त चूट रिकॉर्ड अपेडेशन व सेलमेंट के दौरान हुई है प्राची/वादी के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी का अग्रतोष एक लिपिकीय चूट है। लिहाजा वादी का वादपत्र भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीति होकर गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)  
श्री करणपुर